भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1200
दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

1200. श्रीराधेश्यामराठियाः
श्रीदिनेशभाईमकवाणाः
श्रीविजयबघेलः
श्रीतापिरगावः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौराक्या है;
(ख) उक्त योजना के कवरेज का ब्यौरा क्या है तथा राज्यों, केन्द्र और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच वित्तपोषण का स्वरूप क्या है;
(ग) क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से पंचायतों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा दिया जाता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस पी. सिंह बघेल)

(क) मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्नवीनीकरणकेंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए है, ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकें और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकें आरजीएसए के तहत पंचायत शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीयकरण करने और सरकार द्वारा की गई विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि मंत्रालय ने 2030 तक जमीनी स्तर पर सतत विकास के एजेंडे को हासिल करने के उद्देश्य से 17 एसडीजी को 9 विषयों में एकत्रित करके पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया भी शुरू की है । एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए बनाये गए 9 विषय जमीनी स्तर पर अधिक प्रासंगिक और अपनाने योग्य हैं, ताकि जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए संकल्प के आधार पर विषयगत योजना तैयार की जा सके। प्रशिक्षण के अलावा, आरजीएसए के तहत, मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए

संस्थागत तंत्र स्थापित करने और मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सह-स्थापना जैसे पंचायत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ख) इसयोजना के तहत, राज्य घटकों के लिए वित्तीय सहयोग केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में होता है, सिवाय उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी राज्य और जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 के अनुपात में होता है। अन्य संघ शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हिस्सा100% है।

(ग)और(घ) मंत्रालय ने पंचायती शासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख डिजिटल पहलें विकसित की हैं: योजना और लेखांकन को सुव्यवस्थित करने के लिए ईग्रामस्वराज, जो वास्तविक समय भुगतान के लिए पीएफएमएस से एकीकृत है; लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ऑडिट ऑनलाइन; और मेरी पंचायत एप्लिकेशन जो विकास योजनाओं, वित्त, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रस्तावों सहित पंचायत कार्यप्रणाली के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है।पंचायत निर्णय एप्लिकेशन को भी विकसित किया गया है, जो कि ग्राम सभा बैठकों को शेड्यूल करने, नागरिकों को सूचित करने, एजेंडा प्रसारित करने, पंचायत निर्णयों को रिकॉर्ड करने आदि के लिए है, ताकि ग्राम पंचायत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके।

*****